

झारखण्ड सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची-834004

पत्रांक : IT/RTI/5/2025-DoIT-Section1/09

रांची, दिनांक : 06-05-25

प्रेषक,

उमाशंकर प्रसाद पाल,

अवर सचिव-सह-जन सूचना पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री सुरेन्द्र पाण्डेय,

पोस्ट-चौधरीबंद-825106

झारखंड।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

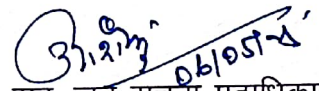
उपर्युक्त विषयक ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल के माध्यम से आपके द्वारा समर्पित सूचना आवेदन

दिनांक 09.04.25 के आलोक में वांछित सूचना निम्नवत् है-

क्र.		सूचना	अभियुक्ति
1	झारखंड RTI ऑनलाइन पोर्टल (https://rti.jharkhand.gov.in) के विकास पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है। कृपया उसका पूर्ण ब्यौरा (वर्षवार) प्रदान किया जाय।	जैप-आईटी, रांची को आवंटनादेश सं०-1002, दिनांक 01.07.24 द्वारा रु० 37,14,600/- आवंटित की गयी है।	खर्च से संबंधित वांछित सूचना हेतु आवेदन को जैप-आईटी, रांची को अंतरित किया गया है।
2	पोर्टल के विकास, रख-रखाव और संचालन से संबंधित सरकार या संबंधित विभाग द्वारा किए गए पत्राचार की प्रतियाँ प्रदान की जाय।	संबंधित दस्तावेज यथा स्वीकृत्यादेश सं०-974 दि० 27.06.24 तथा आवंटनादेश सं०-1002 दि० 01.07.24 की प्रति संलग्न है।	पोर्टल के विकास, रख-रखाव एवं संचालन से संबंधित अन्य सूचना हेतु आवेदन को NIC, रांची एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को अंतरित किया गया है।
3	अभी तक केवल 37 लोक प्राधिकरण को ही पोर्टल से जोड़ा गया है। शेष लोक प्राधिकरणों को अब तक क्यों नहीं जोड़ा गया, यदि इस विषय में कोई आदेश या पत्र जारी किया गया हो, तो उसकी प्रति प्रदान की जाय।	वांछित सूचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से संबंधित है।	वांछित सूचना हेतु आवेदन को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को अंतरित किया गया है।
4	झारखंड RTI ऑनलाइन पोर्टल के विकास हेतु सरकार द्वारा आवंटित बजट की प्रति (प्रस्तावित, स्वीकृत और व्यय विवरण सहित) प्रदान की जाय।	इस संबंध में विभागीय आवंटनादेश सं०-1002 दि० 01.07.24 की प्रति संलग्न है।	व्यय विवरणी हेतु आवेदन को जैप-आईटी, रांची को अंतरित किया गया है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : यथोक्त।


अवर सचिव-सह-जन सूचना पदाधिकारी।

आ.वि.स. से
अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

झारखण्ड सरकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची-834004

18/4
10

पत्रांक : ITSec2/RTI-Portal-1/2020/IT - 974

रांची, दिनांक : 27.06.2024

प्रेषक,

विप्रा भाल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, रांची।

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय : RTI Portal विकसित करने हेतु PMU के गठन के निमित्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में संभावित व्यय
रु० 37,14,600/- (सैंतीस लाख चौदह हजार छः सौ) मात्र व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

राज्य सरकार आम नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। जिसके लिए RTI Online Portal विकसित करना, PMU का गठन एवं Helpline विकसित करना आवश्यक है।

2. इस निमित्त सर्वप्रथम RTI Portal द्वारा Online Application प्राप्त किया जायेगा तथा Payment Gateway यथा Internet Banking, Debit/Credit Card (Master/Visa) एवं Rupay Card अथवा नोडल विभाग द्वारा निर्धारित किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान प्राप्त किया जा सकेगा। इस पोर्टल के माध्यम से भारतीय नागरिक झारखण्ड सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित सूचनाओं की माँग हेतु RTI के तहत अपना आवेदन ऑनलाईन समर्पित कर सकते हैं।

3. उक्त कार्य हेतु निम्न मानवबल के साथ PMU का गठन प्रस्तावित है :-

S. N.	Manpower	Qty.	Rate Per Month (in Rs.)	Operating margin of NICSII @ 4.94% (in Rs.)	Amount per month (in Rs.)	Months	Total Amount (in Rs.)
1	Sr. Programmer Minimum Work Experience - 5yrs. (Tier 3, Level-11)	1	95000	4693	99639	06	5,98,158/-
2	Sr. Programmer Minimum Work Experience - 5yrs. (Tier 3, Level-10)	1	80000	3952	83952	06	5,03,712/-
3	Programmer Minimum Work Experience - 5yrs. (Tier3, Level-9)	1	75000	3705	78705	06	4,72,230/-
Total							15,74,100/-
NICSII Charges (9%)							1,41,669/-
Sub Total							17,15,769/-
GST @ 18%							3,08,838.42
Grand Total							20,24,607.42

4. Helpline हेतु चार मानवबलों की आवश्यकता दूरभाष attend करने के लिए होगी तथा इस निमित्त email address भी स्थापित करना आवश्यक होगा ताकि आवश्यकतानुसार ईमेल के माध्यम से भी सूचनाओं की माँग किया जा सके, जिस हेतु cost estimation निम्नवत् प्रस्तावित है :-

S.N.	Items	Qty.	Cost Estimation
1	Manpower (Support)	4	35000×4×6=8,40,000
2	Hardware Laptop/Desktop	4	50000×4=2,00,000
Total			10,40,000/-

Landline एवं Internet Connectivity के साथ Helpline resources की व्यवस्था प्रशासी विभाग द्वारा

S. N.	Item	Type	Qty.	CPU	RAM	Operating System
1	Application Server (PHP+Apache)	VM	3	16	32	CentOS (Linux)
2	Database Server (PgSQL)	VM	2	16	64	CentOS (Linux)
3	Load Balancer	VM	1	1	48	CentOS (Linux)
4	NFS Server	VM	1	16	32	CentOS (Linux)
5	SFTP Server	VM	1	16	32	CentOS (Linux)
6	Backup Server	VM	1	16	32	CentOS (Linux)
			1000 GB SAN Storage			
7	Extra Storage*	NAS	1000 GB			

6. यह परियोजना तीन वर्षों के लिए परिकल्पित है, जिसकी कुल लागत रु0 1,94,87,644.52/- है। RTI Portal विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर्णाकित राशि की निकासी नहीं की जा सकी थी अतएव, वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम दो तिमाही (Q1+Q2) के लिए आवश्यक राशि अर्थात् रु0 37,14,600/- मात्र का वहन सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा निम्नवत् किया जायेगा :-

S. N.	Items	FY 2024-25 (Q1+Q2)
1	Manpower (Developer)	20,24,607.42
2	Hardware for Developer (Laptop)	6,00,000
3	Tour, Travel, Stationary & Training	2,50,000
4	Manpower (Helpline)	8,40,000
4	Hardware for Helpline (Desktop)	-
	Total	37,14,607.42
	Or Say	37,14,600/-

शेष वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं (2026-27 के प्रथम दो तिमाही यथा-Q1+Q2) में होने वाले व्यय अर्थात् रु0 1,57,73,000/- (यथा-निम्न वर्णित तालिका के अनुसार) का वहन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान कर किया जायेगा। इस पर कार्मिक विभाग का मंतव्य/सहमति प्राप्त है -

S. N.	Items	FY 2024-25	FY 2025-26	FY 2026-27 (Q1+Q2)	Total Rs.
1	Manpower (Developer)	40,49,214.84	40,49,214.84	20,24,607.42	1,01,23,037.10
2	Hardware for Developer (Laptop)	-	-	-	-
3	Tour, Travel, Stationary & Training	5,00,000	5,00,000	2,50,000	12,50,000
4	Manpower (Helpline)	16,80,000	16,80,000	8,40,000	42,00,000
4	Hardware for Helpline (Desktop)	2,00,000	-	-	2,00,000
	Total	64,29,214.84	62,29,214.84	31,14,607.42	1,57,73,037.10
	Or Say				1,57,73,000/-

सर्वप्रथम छः माह में NIC द्वारा RTI पोर्टल विकसित किये जायेंगे तदनुपरांत NIC द्वारा प्रशासी विभाग अर्थात् कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को उक्त पोर्टल Handover कर दी जायेगी।

7. अतः RTI Portal विकसित करने हेतु PMU के गठन के निमित्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में संभावित व्यय रु0 37,14,600/- (सैंतीस लाख चौदह हजार छः सौ) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यशीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, उपशीर्ष-21-ई-गवर्नेंस-सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय -81-सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएं विपत्र कोड-45S22030079621000781 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

9. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड, रांची होंगे। राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन कोषागार, धुर्वा रांची से की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 की स्वीकृत राशि 37,14,600/- को, पुस्त अंतरण के माध्यम से JAPIT के PL A/c (मुख्यशीर्ष SL

21/06/2024

8448-00-120) में आंतरित की जायेगी तथा NIC/NICSI को भुगतान से पूर्व JAPIT द्वारा सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

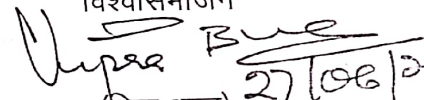
10. राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दि० 17.04.98 में दिए गए दिशा-निर्देश के तथा अन्य सुसंगत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

11. उपर्युक्त मद में आवंटित राशि को दूसरे मद में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाएगा।

12. स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी किसी भी स्थिति में नहीं की जाय अन्यथा इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

13. स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार राज्य सरकार एवं महालेखाकार, झारखण्ड का होगा।

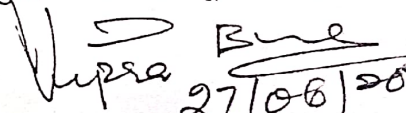
विश्वासभाजन


(विप्रा भाल) 27/06/2024

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : ITSec2/RTI-Portal-1/2020/IT - 974 रांची, दिनांक : 27.06.2024

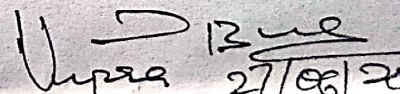
प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, झारखंड मंत्रालय, भवन, धुर्वा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


27/06/2024

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : ITSec2/RTI-Portal-1/2020/IT - 974 रांची, दिनांक : 27.06.2024

प्रतिलिपि : सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जैप-आईटी/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/विपत्र शाखा (मूल दो प्रतियों में)/बजट शाखा/श्री दयाशंकर वर्मा, प्रोग्रामर को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


27/06/2024

सरकार के सचिव।



ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 707

पत्रांक संख्या :- 974

झारखण्ड सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
स्वीकृत्यादेश

पत्रांक दिनांक :- 27/06/2024

प्रेषक,

VIPRA BHAL
SECRETARY

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY & EGOVERNANCE

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार, झारखण्ड का कार्यालय,
पोस्ट - डोरंडा, राँची ।
द्वारा- *आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : RTI PORTAL

आदेश- स्वीकृत ।

- 1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 45 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के, राज्य स्कीम के
मुख्यशीर्ष - 2203-तकनीकी शिक्षा
उपमुख्य शीर्ष - 00-तकनीकी शिक्षा
राज्य योजना

लघुशीर्ष	राशि
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	□37,14,600.00
कुलराशि :-	□37,14,600.00


27/06/2024

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

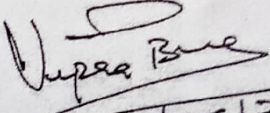
विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
45S220300796210781	21 - ई-गवर्नेंस सरकारी विभागों का कंप्यूटरीकरण	81 - सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ	

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी SUNIL KUMAR PODDAR (PRJSCT001), UNDER SECRETARY होंगे तथा राशि $\square 37,14,600.00/-$ की निकासी Project Bld कोषागार से की जाएगी।

3.) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

4.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता, अनुदान, वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)


27/06/2024
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

Run Date: 27/06/2024

136.233.39.229

सरकार के सचिव।
01/07/2024
Supra

प्रतिनिधि : महालेखाकार, झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड मंत्रालय, भवन, छुर्वा, रांची को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपक : ITSec2/RTI-Portal-1/2020/IT - 1002 रांची, दिनांक : 01.07.2024

विश्वनाथसिंह
01/07/2024
Supra
(विभागाध्यक्ष)
सरकार के सचिव।

7. स्वीकृत राशि के अंशका का अधिकार राज्य सरकार एवं महालेखाकार, झारखण्ड का होगा।
- जिम्मेदारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी किसी भी स्थिति में नहीं की जाय अन्यथा इसकी सम्पूर्ण उपयुक्त मद में आवंटित राशि को दूसरे मद में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाएगा।
5. सुसंगत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
4. राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दि० 17.04.98 में दिए गए दिशा-निर्देश के तथा अन्य का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8448-00-120) में आवंटित की जायेगी तथा NIC/NICSI को भुगतान से पूर्व JAPIT द्वारा सभी प्रक्रियाओं 2024-25 की स्वीकृत राशि 37,14,600/- को पुस्त अंतरण के माध्यम से JAPIT के PL A/c (मुख्यशेष झारखण्ड, रांची) होगा। राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन कोषागार, छुर्वा रांची से की जायेगी। वित्तीय वर्ष 3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, -81-सूचना, संचार एवं संवरण सेवाएं विपत्र कोड-45S22030079621000781 के अन्तर्गत विकलनीय होगा। क्षेत्र उपयोजना, उपशेष-21-ई-गवर्नेंस-सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण, विस्तृत शेष-07-अन्य व्यय 2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यशेष-2203-तकनीकी शिक्षा, लघुशेष-796-जनजातीय चौदह हजार छः सौ) मात्र आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- हेतु PMU के गठन के निमित्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में संभावित व्यय रु० 37,14,600/- (सैंतीस लाख उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं-974 दि० 27.06.24 के क्रम में RTI Portal विकसित करने महाशय,

विषय : RTI Portal विकसित करने हेतु PMU के गठन के निमित्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में संभावित व्यय रु० 37,14,600/- (सैंतीस लाख चौदह हजार छः सौ) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड।
अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
रांची में,

विभागाध्यक्ष,
सरकार के सचिव।

प्रभक,

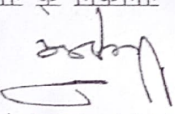
आपक : ITSec2/RTI-Portal-1/2020/IT - 1002 रांची, दिनांक : 01.07.2024

सरकार के सचिव।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
रांची मंत्रालय, झारखण्ड मंत्रालय, भवन, छुर्वा, रांची-834004

6

ज्ञापक : ITSec2/RTI-Portal-1/2020/IT - 1002 रांची, दिनांक : 01.07.2024

प्रतिलिपि : सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/
मुख्य कार्यालयक पदाधिकारी, जैप-आईटी/विपन शाखा (मूल दो प्रतियाँ में)/बजट शाखा/श्री दयाशंकर
वर्मा, प्रोग्रामर को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजित।


01/07/2024
सरकार के सचिव।

(4)

13

FMS

वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित राशि की विवरणी :-

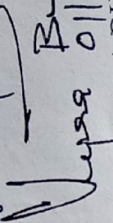
मौग सं० - 45 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
मुख्य शीर्ष-2203 - तकनीकी शिक्षा & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना & 21 - ई-गवर्नेंस सरकारी विभागों का

कम्प्यूटरीकरण

Sl. No.	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	45S22030079621000781	Total
					सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ	7
2	Project Building	3	4	5	₹37,14,600.00 (37686)	₹37,14,600.00
		PRJSCT001	Sunil Kumar Poddar	Under Secretary		

कुल आवंटित राशि :- ₹37,14,600.00 (ISrhl yk|k pkSng gtkj N% lks) रूपये मात्र।

विवरण :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए


(VIPRA BHAL)
SECRETARY



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Information Technology and e-Governance Department

साल वित्तीय वर्ष

2024-25

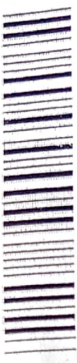
में व्यय हेतु निर्मांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या -

rti-portal-1/20/1002

दिनांक - 01-Jul-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 45 22030079621000781 2203 - तकनीकी शिक्षा 00 - तकनीकी शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 21 - ई-गवर्नेंस सरकार की विभागों का कंप्यूटरीकरण	37686	PRJSCT001 SUNIL KUMAR PODDAR UNDER SECRETARY	3,714,600.00 रुपये सैतीस लाख चौदह हजार छः सौ



00-NA

01 - अन्य व्यय

Slate Scheme

State Scheme :

EGOVERNANCE COMPUTERIZATION OF GOVT. DEPTTS(0382)

Central Scheme :

NA

81 - मुचवा, मंचार एवं मंचरण मेवार्ड

योग:

रुपये सैतीस लाख चौदह हजार छः सौ

क्रमिक योग:

Vipra Bha
Vipra Bha
11/07/2024
(VIPRA BHAA)
SECRETARY

3,714,600.00